राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में हुई चर्चा पर प्रधानमंत्री का उत्तर

9 जून 2009

अध्यक्ष महोदया, इस महान सदन के अन्य सभी सदस्यों के साथ मैं भी महामहिम राष्ट्रपति के विचारोत्तेजक संबोधन के लिये उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। इसी के साथ-साथ मैं विपक्ष के नेता श्री एल.के.आडवाणी और मुलायम सिंह यादव और श्री लालू प्रसाद सहित उन अन्य सभी वरिष्ठ नेताओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर विचार व्यक्त किये हैं।

हमारे गणतंत्र में एकता की जो भावना अन्तर्निहित है उसे मैं महसूस कर रहा हूं। वे कौन से कार्य है जो हमें अभी करने हैं और उन लक्ष्यों को हम किस प्रकार पूरा कर सकते हैं? श्री आडवाणी ने कहा कि हम सबको 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने के लिए काम करना चाहिये। यह एक ऐसा विचार है, जिस पर मैं काफी समय से बोलता रहा हूं। विक्टर ह्यूगो का उल्लेख करते हुए मैंने 1991 में ही कहा था - धरती पर ऐसी कोई ताकत नहीं है जो उस विचार को रोक सके, जिसका समय आ गया हो और मुझे पूरा विश्वास है कि अर्थव्यवस्था और विश्व राजनीतिक व्यवस्था की प्रमुख महाशक्ति के रूप में भारत का उभरना, इसी तरह का एक विचार है जिसका समय आ गया है। हमारे देश की इस चिर-प्रतीक्षित इच्छा को साकार करने में योगदान देना हम सभी का विशेषाधिकार है। सभी पक्षों के भाषणों का लहजा काफी रचनात्मक रहा है, और मैं सोचता हूं कि माननीय अध्यक्ष और उसके बाद माननीय उपाध्यक्ष का निर्विरोध चुनाव होना, हमारे देश के लिये शुभ संकेत है। हमने एक नई शुरूआत की है। मुझे आशा है और मेरी यह प्रार्थना है कि देश के सामने मौजूद तमाम राष्ट्रीय समस्याओं और सरोकारों का सामना करते समय हम यह द्विपक्षीय सहयोग की भावना बनाए रखें।

महोदया, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का आयोजन और तदुपरांत सरकार का गठन निश्चय ही भारतीय लोकतंत्र की सफलता है। अपनी उपलब्धियों पर हम सही तौर पर गौर कर सकते हैं। बहुत से लोगों को विश्वास था कि भारत जैसे निर्धन देश में संसदीय लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता और संसदीय लोकतंत्र उस देश में भी सफल नहीं हो सकता जिसमें उतनी बड़ी संख्या में निरक्षर मतदाता हों, जितने कि हमारे देश में हैं। हमने इस पर लोगों को लिखते देखा है। मुझे याद है कि 1960 के दशक में भारत स्थित न्यूयार्क टाइम्स के संवाददाता सेलिंग एस हैरिसन ने वापस जाकर एक किताब लिखी जिसका शीर्षक था - भारत : सबसे भयावह दशक (इंडिया दि मोस्ट डैन्जरस डिकेड्स) और भविष्यवाणी की कि 1970 के दशक के अंत तक भारतीय संघ का अवसान हो जाएगा।

हमने इन विघ्न संतोषियों (विनाश और विषाद के मसीहों) की भविष्यवाणी को निरर्थक साबित कर दिया है और हमारे गणतंत्र ने आगे बढ़ते रहने का लचीलापन और क्षमता दिखाई है।

महोदया, मुझे पूरा विश्वास है कि लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के ढांचे में भारत का सामाजिक और आर्थिक रूपांतरण, कानून के शासन के प्रति संकल्पबद्ध खुला समाज, सभी मौलिक मानवाधिकारों के सम्मान के लिये वचनबद्धता, विश्व इतिहास में ऐसी घटना है, जो यदि सफल होती है तो तीसरी दुनिया के सभी देशों की विकास प्रक्रियाओं पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा।

लोगों को इस बात पर आश्चर्य है कि एक अरब की जनसंख्या वाला यह देश, जिसकी विशेषता यही है कि उसमें अनेक धार्मिक विश्वासों और जातिगत तनावों के साथ रहते हैं, फिर भी साथ-साथ आगे बढ़ रहे हैं। यह एक ऐसी बात है जिसके लिये हमारे देश की काफी सराहना होती है। कम से कम, मैंने तो पिछले पांच वर्षों के दौरान विश्व के विभिन्न भागों में प्रधानमंत्री के तौर पर यात्रा करते हुए ऐसा महसूस किया है।

यह हमारा विशेषाधिकार और परम कर्त्तव्य है कि हमारे महान गणतंत्र की लोकतांत्रिक बुनियादों को दृढ़ता प्रदान करें।

हमारी व्यवस्था में कुछ तनाव हैं और जब हम सब अपने आपको बधाई दे रहे हैं हमें अपनी कुछ स्पष्ट कमजोरियों पर पर्दा नहीं डालना चाहिए। चुनावों में धनबल और बाहुबल का बढ़ता प्रयोग कुछ इसी तरह की बातें हैं। मैं सोचता हूं कि यदि हमें अपनी लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली के स्वास्थ्य को बनाए रखना है तो इन समस्याओं को दूर करना जरूरी होगा।

इसके अलावा, यदि हमें सफल होना है तो, हमारे लिये यह दृढ़ प्रतिज्ञा करनी जरूरी है कि हम ऐसे समूहों और व्यक्तियों को प्रोत्साहन नहीं देगे जो धर्म या जाति के नाम पर हमारे देश को विभाजित करना चाहते हैं। हमें उन लोगों से सख्ती से निपटना होगा जो यह मानते हैं कि लक्ष्यों को हासिल करने के लिये हिंसा ही एकमात्र रास्ता है। मेरा विचार है कि हमें यह सुनिश्चित करने हेतु निष्ठापूर्वक यह संकल्प लेना होगा कि हमारे जैसे निर्धन देश के लिए आवश्यक सामाजिक और आर्थिक विकास से समाज के सभी वर्गों, संघ के सभी राज्यों, सभी समुदायों और सभी व्यक्तियों को लाभ मिले।

मैंने लालू जी को बिहार की विशेष समस्याओं के बारे में कहते सुना। मैं उन्हें और माननीय सदस्यों को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे देश के पिछड़े क्षेत्र, जो विकास की दौड़ में पीछे रह गए हैं, विकास की चुनौतियों का सामना करते हुए हम उन पर प्राथमिकतया ध्यान देंगे।

एक और चीज़ है जिसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। लोकतंत्र एक सुंदर वृक्ष है, परन्तु सभी आधुनिक लोकतांत्रिक देश, स्पर्धात्मक राजनीति के दबाव में आकर अल्पकालिक दृष्टिकोण अपना लेते हैं। बहुधा दीर्घकालीन चिंताओं और मुद्दों पर उतना ध्यान नहीं जाता जितना कि दिया जाना चाहिए। यदि भारत को अपने वैकल्पिक लक्ष्यों को हासिल करना है, तो हमें यह दीर्घकालिक दृष्टि अपनानी होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि हम यह दृष्टि अवश्य पा लेंगे और वह साहस भी पा लेंगे जो इन दीर्घकालिक चिंताओं के निराकरण के लिए आवश्यक है। महान भारतीय संविधान को देने वाले हमारे गणतंत्र के पितृ पुरूषों को यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

महोदया, जो जनादेश हमारी सरकार को मिला है, और जिसे हम बड़ी विनम्रतापूर्वक स्वीकार करते हैं, वह अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने के लिये नहीं है। हम यह स्वीकार करते हैं कि इस जनादेश ने हम सभी पर, देश को मजबूत, उद्देश्यपूर्ण और स्थिर सरकार तथा एक ऐसी सरकार देने का भारी दायित्त्व सौंपा है जो सर्वनिहित वैकल्पिक प्रक्रिया के प्रति वचनबद्ध हो। जैसा कि राष्ट्रपति ने स्वयं अपने गरिमामय भाषण में स्वीकार किया है कि यह एक ऐसा एजेंडा है जो अगले पांच वर्षों तक हमें प्रतिदिन व्यस्त रखेगा। अतएव यह जनादेश, स्थिरता

के लिये जनादेश है। यह निरंतरता के साथ परिवर्तन, सर्वनिहित विकास के लिये प्रतिबद्धता, समतामूलक विकास और बहुलतावादी एवं धर्म निरपेक्ष भारत के संरक्षण और परिरक्षण की वचनबद्धता के लिये जनादेश है।

महोदया, इन सभी मोर्चों पर हम अपने प्रयासों को सुगठित करेंगे और राष्ट्रपति के अभिभाषण ने उस दिशा की रूपरेखा तय कर दी है जिस पर हम चलना चाहते हैं। हम रोजगार, शिक्षा, ग्रामीण एवं कृषि विकास तथा स्वास्थ्य के अपने अग्रगामी कार्यक्रमों को और भी सुदृढ़ बनाएंगे तथा लोकसेवाओं को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनायें। हमें पता है कि बहुत काम किया जा चुका है, फिर भी अभी बहुत कुछ करना बाकी है। हम अपने कार्य की गति को तेज करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।

महोदया, मेरा मानना है कि इस विशाल लक्ष्य को हासिल करने में कोई भी वैकल्पिक एजेंडा तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक केन्द्र और राज्य, और अब तीसरे पायदान की पंचायती राज संस्थायें भी, सहयोग और तालमेल के साथ काम नहीं करतीं। महोदया, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राज्यों और पंचायती राज संस्थानों के साथ व्यवहार करते समय हम पूरी निष्पक्षता बरतेंगे। उन राज्यो के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, जिनमें केन्द्र से भिन्न दलों की सरकारें हैं। मैं आपको यह वचन देता हूं। मैं सभी मुख्यमंत्रियों का आह्वान करता हूं कि राष्ट्रपति ने व्यापक और समावेशी विकास का जो एजेंडा हम लोगों के समक्ष रखा है, उस पर सच्चे मन से अमल करने के लिये राष्ट्रीय विकास परिषद में मिलकर काम करें।

महोदया, मैं उन रणनीतियों और कार्यक्रमों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं जिनका उल्लेख राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में किया है। सरकार के तौर पर हमारा बुनियादी कार्य क्या है? मेरा हमेशा से इस बात पर विश्वास रहा है, और यहां अपने गणतंत्र के संस्थापक पितृपुरूषों महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी से मुझे प्रेरणा मिलती है, जिन्होंने सदैव इस बात पर बल दिया कि हमारी आजादी तब तक अधूरी रहेगी, जब तक देश में व्यापक गरीबी है।

हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का यह स्वप्न था कि हमारे देश के प्रत्येक नागरिक की आंखों से आंसू पोछे जायें। यह एक महत्त्वाकांक्षा है, जिसे हम शायद पूरी न कर सकें। परन्तु यह एक ऐसी प्रेरणा है जो देशवासियों को सम्मान और स्वाभिमान भरा जीवन प्रदान करने के लिए हमारी सरकार का मार्ग दर्शन करता रहेगा ।

यदि हमारे देशवासी अस्वस्थ हैं, निरक्षर हैं, यदि पर्यावरण संरक्षण के उपाय काम नहीं कर रहे, यदि देश के भूमि और जल स्रोतों तथा जल संसाधनों की अवनति बेरोकटोक जारी है तो विकास का कोई अर्थ नहीं है। अतः विकास के उस समावेशी दृष्टिकोण के प्रति संकल्प लेते हैं, जहां हमारे महान गणतंत्र के सभी व्यक्तियों को अपनी आकांक्षायें पूरी करने के लिये समान अवसर उपलब्ध होंगे। यह आसान नहीं है, परन्तु मुझे यकीन हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण, ऐसे साधन हैं जिनके जरिये हम देशवासियों का जीवन स्तर सुधारने में मदद कर सकते हैं। परन्तु इन सबके लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है, और पैसा पेड़ पर नहीं उगता। यदि हमें अपने अग्रगामी (ध्वजवाही) कार्यक्रमों में निवेश करना है, तो हमें और अधिक संसाधनों तथा सदा बढ़ने वाले संसाधनों के समूह की आवश्यकता होगी। सौभाग्य से पिछले पांच वर्षों में हमारी अर्थव्यवस्था 8.6

प्रतिशत की दर से आगे बढ़ने में कामयाब रही है। इससे हमारे राजस्व को भरपूर लाभ पहुंचा है। हम कृषि, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण के लिये अधिक संसाधन जुटा सके।

अभी हाल ही में, विशेषकर पिछले एक वर्ष में, विश्व व्यापी मंदी ने हमारी अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव डाला है। हमारी विकास दर जो पहले के चार वर्षों में करीब 9 प्रतिशत थी गिरकर करीब 7 प्रतिशत रह गई। हम एक ऐसी निरंतर अंतर्निभर होती जा रही विश्व अर्थव्यवस्था में रह रहे हैं कि मैं आपसे यह वादा नहीं कर सकता कि वैश्विक घटनाओं से हम प्रभावित नहीं होंगे। परन्तु मुझे पूरा यकीन है कि चूंकि हमारी बचत दर 35 प्रतिशत जितनी ऊंची है, यदि हम सब मिलकर सामूहिक भावना से काम करें तो हम 8 से 9 प्रतिशत की विकास दर हासिल कर सकते हैं, भले ही विश्व अर्थव्यवस्था ठीक से काम न कर सके। जाहिर है कि हम कम से कम 7 प्रतिशत की विकास दर बनाए रख सकते हैं। अल्पावधि में, हम इससे बेहतर नहीं कर सकते, परन्तु यह काफी नहीं होगा। अतः हमारी सरकार की महत्त्वाकांक्षा है कि विश्व अर्थव्यवस्था में चाहे कुछ भी हो रहा हो, देश में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि 8 से 9 प्रतिशत की विकास दर हासिल करने में वह सफल हो सके। मुझे यकीन है कि इस महान सदन के सभी वर्गों के सहयोग से ऐसा हो सकता है। हम लोग इसी दिशा में बढ़ने के लिये काम करेंगे।

मैं मानता हूं कि हमारी राजकोषीय व्यवस्था दबाव में है। राजकोषीय घाटा बढ ग़या है, परन्तु मुझे विश्वास है कि इसके बावजूद हम शीघ्र ही अपने अग्रगामी कार्यक्रमों पर और अधिक धनराशि खर्च करने का रास्ता निकाल लेंगे। मुझे यकीन है कि माननीय वित्तमंत्री जब अपना बजट पेश करेंगे, इस सम्बंध में सरकार की रणनीति का खुलासा हो जाएगा।

जैसा कि मैंने कहा, हम वैसा व्यय नहीं कर सकते जैसा समृद्धि के मार्ग पर बढ़ने हुए किया जाता है। वर्तमान परिस्थितियों में सार्वजनिक, विशेषकर बुनियादी ढांचे वाली परियोजनाओं में, परिव्यय की काफी गुंजाइश है, और हमारी मुद्रास्फीति भी नहीं बढ़ेगी। इससे केवल हमारी विकास की संभावनाओं में ही इजाफा होगा और मैं समझता हूं कि विश्व के अनेक देशों को प्रभावित करने वाली वैश्विक मंदी से निपटने का यही उचित तरीका है।

विश्व अर्थव्यवस्था, भारत जैसे विशाल देश के प्रबंधन से परस्पर जुड़ी हुई है। अनेक अतंर्राष्ट्रीय कारक हैं जो हम पर प्रभाव डालते हैं। सुरक्षा सम्बंधी घटनायें भी हैं जो हमारी विकास प्रक्रिया को पटरी से उतार सकती हैं। यदि आतंकवाद को रोका नहीं गया, यदि वामपंथी उग्रवाद का देश के महत्त्वपूर्ण भागों जिनमें खनिजों और अन्य बहुमूल्य वस्तुओं का प्रचुर प्राकृतिक भंडार भरा पड़ा है, में पनपना जारी रहा, उससे निश्चित ही निवेश के माहौल पर प्रभाव पड़ेगा। अतः एक सरकार के तौर पर, हम यथाशक्ति यह सुनिश्चित करने के लिये वचनबद्ध हैं कि आतंकवादी तत्त्वों को नियंत्रण में किया जाए। यही कारण है कि महामहिम राष्ट्रपति ने आतंकवाद को कतई सहन नहीं करने (जीरो टालरेन्स) की बात कही है। इसी प्रकार, वामपंथी उग्रवाद के बारे में, हमें अपने गुमराह युवाओं को यकीन दिलाना होगा कि बंदूक की हिंसा से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। हमारी राजनीतिक व्यवस्था, मतपत्रों के जरिये अपनी चिताओं को व्यक्त करने का अवसर प्रदान करती है और हमने अतीत में देखा है कि कल के विद्रोही, शासक बन कर उभरे हैं। यही हमारे गणतंत्र की खूबसूरती है। हमारी राजनीतिक व्यवस्था की खूबसूरती। अतः इन उग्रवादी तत्त्वों का सामना करते हुए हमें दो

मोर्चों पर काम करना है। हम किसी नतीजे को हासिल करने के लिये हिंसा को साधन नहीं बनने दे सकते । इसी के साथ-साथ हम जानते हैं कि ऐसा माहौल भी है जहां हिंसा पनपती है। अतः यह सुनिश्चित करना हमारा लक्ष्य होना चाहिये कि आर्थिक और सामाजिक असंतोष की भावनाओं में बह कर लोग प्रभावित लोगों के साथ न जुड़ सकें। इसीलिये जरूरी है कि हम दोनों पावों पर चलें। इसी के साथ यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि कानून और व्यवस्था बनी रहे और विकास के लाभ समाज के वंचित वर्गों, विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी समान रूप से मिलता रहे।

मैं इस तथ्य से अवगत हूं कि देश की आदिवासी जनसंख्या के साथ उचित व्यवहार नहीं हुआ है। जिस प्रकार हम आदिवासी क्षेत्रों में प्रशासन चलाते हैं, जिस प्रकार इन कठिन आदिवासी क्षेत्रों में काम करने के अनिच्छुक अधिकारियों को वहां भेजा जाता है, स्पष्ट है कि इससे संसाधनों की आवाजाही पर ठीक तरह से निगरानी नहीं रखी जाती और संसाधनों के व्यय के लिए उचित मार्गदर्शन भी नहीं मिल पाता। मेरे विचार में, कम से कम मध्य भारत के आदिवासी क्षेत्रों की समूची वैकल्पिक रणनीति पर नये सिरे से नजर डालने की जरूरत है।

मैं वचन देता हूं कि हमारी सरकार देश के आदिवासी समुदायों को राष्ट्रीय मुख्यधारा में लाने के लिये जो भी संभव होगा करेगी। पिछले पांच वर्षों में हमने कुछ कदम उठाये हैं। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वनाधिकार की मान्यता) अधिनियम, जो वनवासियों को अधिकार प्रदान करता है, इसी दिशा में उठाया गया एक कदम है। परन्तु मैं मानता हूं कि आदिवासी क्षेत्रों में असंतोष को रोकने के लिये आर्थिक और सामाजिक मोर्चों पर अभी बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि इसी के कारण नक्सलवाद अथवा वामपंथी उग्रवाद को बढ़ावा मिलता है।

माननीय विपक्ष के नेता श्री एल.के.आडवाणी ने अपने भाषण में उल्लेख किया था कि 26 नवंबर को मुम्बई में हुए आतंकवादी हमले की जांच के लिये महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित आयोग ने कतिपय चूकों के लिये केन्द्र को दोषी ठहराया है। संसद सदस्यों को पता है कि महाराष्ट्र सरकार ने उस दिन की घटना और जिस तरह सरकार ने हमले का जवाब दिया, की जांच के लिये दो सदस्यीय आयोग का गठन किया है। मैं समझता हूं कि जांच आयोग ने राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। राज्य सरकार निःसंदेह, रिपोर्ट और संभवतः उस पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट के साथ महाराष्ट्र विधानमंडल में रखेगी। अतः जब तक जांच आयोग की रिपोर्ट औपचारिक रूप से सदन के पटल पर रखी नहीं जाती इस समय रिपोर्ट की विषय वस्तु के बारे में कोई टिप्पणी करना, संभव नहीं है। अतः मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा एक ऐसी रिपोर्ट से निकाले निष्कर्षों पर कुछ नहीं कहूंगा, जो अभी तक राज्य विधानसभा में रखी ही नहीं गई है।

परन्तु मैं सदन को उन अनेक कदमों के बारे में बताना चाहूंगा जो इस तरह के संभावित आतंकी हमलों के विरूद्ध सतर्कता को और सुदृढ़ बनाने के लिये नवम्बर 2008 के बाद उठाए गए हैं। जैसा कि सदस्यों को पता है 26 नवम्बर को हमले को अंजाम देने वाले आतंकी समुद्री रास्ते से आए थे। हम सभी इस रास्ते से होने वाले इस तरह के हमलों के जोखिम से अवगत हैं और पहले ही अनेक कदम उठाए गए हैं, परन्तु स्पष्ट है कि यह पर्याप्त नहीं है। अतः हमारी समुद्री सुरक्षा को चाक चौबंद बनाने के लिये बड़े पैमाने पर प्रयास शुरू किये गए हैं। इसमें, तट रक्षक बल के अन्तर्गत एक समुद्री कमान (मेरीटाइम कमान्ड) का गठन शामिल है हालांकि समूचा उत्तरदायित्व नौ सेना का ही रहेगा।

नौसेना और तटरक्षक के प्रयासों में मदद के लिये हमने समुद्री पुलिस थानों की संख्या बढ़ायी है। अनेक और कदम भी उठाए गए हैं। परन्तु मैं कुछ के ही बारे में बताउंगा। खुफिया जानकारी के आदान-प्रदान में सुधार इनमें एक है। बहु एजेंसी केन्द्र को पूर्ण रूप से सक्रिय कर दिया गया है तथा कुछ और राज्यों में सहायक बहु एजेंसी केन्द्रों की स्थापना की गई है। यह प्रक्रिया शीघ्र ही पूरी कर ली जाएगी। कार्रवाई योग्य सभी सूचनाओं को संघटित रूप से ऑनलाइन प्राप्त करने और भेजने के लिये नेट-सेन्ट्रिक सूचना कमान का ढांचा तैयार किया जा रहा है। कार्रवाई योग्य खुफिया सूचनाओं के सृजन पर भी प्राथमिकता के आधार पर काम किया जा रहा है। खुफिया सूचनाओं को हासिल करने के लिये तकनीकी नवाचार और तकनीकी संवर्धन को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। खुफिया सूचनाओं के विश्लेषण की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिये भी कदम उठाए गए हैं। गंभीर आतंकवादी अपराधों की जांच की जिम्मेदारी अब से, नवगठित राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की होगी।

नए एन आई ए अधिनियम के अतिरिक्त जो अन्य वैधानिक उपाय किये गए हैं, उनमें गैर कानूनी गतिविधियों (निवारण) अधिनियम में उल्लेखनीय संशोधन शामिल है। गृह मंत्री का राज्यों के मुख्यमंत्रियों से निरन्तर संवाद बना हुआ है और दोनों नए कानूनों के विशिष्ट प्रावधानों की जानकारी दी जा रही है।

महोदया, 26 नवंबर, 2008 को मुम्बई में हुए आतंकी हमलों के बाद समर्पित आतंकवाद विरोधी बलों की आवश्यकता और भी अधिक महसूस की जा रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, देश का प्रमुख आतंकवाद विरोधी बल है। इसकी क्षमता और सामर्थ्य में सुधार के लिये विशेष प्रयास किये गए हैं। इसकी गतिशीलता में सुधार और इसे आधुनिकतम उपकरण मुहैया कराये गए हैं। देश के विभिन्न भागों में कम से कम चार नए एन एस जी केन्द्र (हब) बनाये गए हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और समर्पित आतंकवाद विरोधी बलों के सृजन का प्रयास किया जा रहा है।

महोदया, इस बात को कहने की कोई आवश्यकता नहीं कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिहाज से हम जिस कठिन दौर से गुजर रहे हैं और देशवासियों की भलाई के यथासंभव अनूठे अवसरों की जो चुनौतियां हमारे सामने हैं उसने साझे लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हमें मिलकर काम करने का अवसर प्रदान किया है। मैं उन माननीय सदस्यों का कृतज्ञ हूं जिन्होंने इन दोनो मसलों पर अपने समर्थन की पेशकश की है। मैं इसे अपनी सरकार का कर्त्तव्य समझता हूं कि उद्देश्य की इस एकता को और भी मजबूती प्रदान की जाए। मैंने हमेशा यह महसूस किया है कि जब भी हम देश के सामने मौजूद चुनौतियों की गंभीरता के बारे में सोचेंगे, हमारे सभी मतभेद स्वतः समाप्त हो जाएंगे।

महोदया, मैं पड़ोसी देशों से हमारे सम्बंधों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। हम बड़ी उथल-पुथल वाले पड़ोस में रह रहे हैं। मेरा विश्वास है कि जब तक समूचे दक्षिण एशिया में शांति और समृद्धि नहीं होगी, भारत अपने महत्त्वाकांक्षाओं को नहीं हासिल कर सकता। यदि हमारे पड़ोस में अस्थिरता और उथल-पुथल बनी रहेगी, तो सतत विकास और वृद्धि के प्रति संकल्पिक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तौर पर हमारे अपने विकास पर भी इसका असर पड़े बिना नहीं रहेगा। एक नए बदले हुए दक्षिण एशिया का मेरा एक विज़न (स्वप्न) है, जहां सभी पड़ोसियों के सहयोग से हम गरीबी से समृद्धि की ओर, अज्ञानता से ज्ञानवान समाज की ओर और असुरक्षा से स्थायी शांति की ओर बढ़ें। जो चीज दांव पर लगी है वह है दक्षिण एशिया में रह रहे डेढ़ अरब लोगों का भविष्य। मेरा पूरा विश्वास है कि यह हमारे ही हित में है कि हम पाकिस्तान के साथ शांति कायम रखने के लिये

पुनः प्रयास करें। मैं मानता हूं कि ताली दोनों हाथों से बजती है। कुछ बाधक प्रवृत्तियां हैं, परन्तु मैं आशा करता हूं कि पाकिस्तान सरकार एक ऐसा माहौल बनाएगी जिसमें इस विजन को साकार किया जा सके। मैं पाकिस्तान सरकार से अपेक्षा करता हूं कि भारत में आतंकी अथवा भारत के हितों के विरूद्ध गतिविधियों को अंजाम देने के लिये अपने जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देने के वास्ते सतत रूप से कड़े और प्रभावी कदम उठायेगी, और मुम्बई हमलों सहित अतीत में इन अपराधों को अंजाम देने वालों को कानूनों के कटघरे में खड़ा करने के लिये हरसंभव उपाय करेगी। मुझे यकीन है कि इन कार्रवाइयों का दोनों देशों के लोग स्वागत करेंगे।

यदि पाकिस्तान के नेतृत्व के पास शांति के इस मार्ग पर बढ़ने का साहस, दृढ़ इच्छा-शक्ति और राजनीतिक कौशल है तो मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि हम उनसे कहीं आगे जाकर काम करेंगे।

मैं श्रीलंका के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। श्रीलंका के लोगों के साथ हमारे सदियों पुराने सम्बंध हैं और उस देश में रहने वाले तमिलों की भलाई से हमारा गहरा और स्थायी नाता है। तमिल समस्या एलटीटीई से कहीं बड़ी है और मुझे पूरी आशा है कि तमिल लोगों को सम्मान और स्वाभिमान के साथ समानतापूर्वक अपना जीवन बिताने की विधिसम्मत चिंताओं और अपेक्षाओं को पूरा करने के लिये श्रीलंका सरकार साहस और कल्पनाशीलता दिखायेगी। श्रीलंका के आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों के पुनर्वास और राहत कार्यों में हम सक्रिय रूप से भाग लेते रहे हैं और इस कार्य के लिये हमने पहले से ही पांच अरब रूपये निर्धारित किये हुए हैं। सामान्य स्थिति की बहाली और इन लोगों के अपने जायज घरों और व्यवसायों को लौटने में मदद के लिये हम और भी करने के इच्छुक हैं।

इस सदन में, और दूसरे सदन में भी, सदस्यों ने आस्ट्रेलिया में हो रही घटनाओं के प्रति चिंता व्यक्त की है। महोदया, भारतीय छात्रों के लिये आस्ट्रेलिया एक प्रमुख गन्तव्य के तौर पर उभरा है। इस सदन में विचार-व्यक्त करने वाले सदस्यों के साथ मुझे भी निरर्थक हिंसा और अपराध की घटनाओं से आघात पहुंचा है। इनमें से कुछ घटनायें आस्ट्रेलिया में हमारे छात्रों के प्रति नस्लभेद से प्रेरित रही हैं। मेरी इच्छा है कि स्थिति का जायजा लेने और भारतीय छात्रों को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने के लिये आस्ट्रेलिया के अधिकारियों के साथ उच्च्य स्तरीय वार्ता की जाए।

महोदया, मैं आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री केबिन रूड के साथ पहले ही इस मसले पर बात कर चुका हूं। उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया है कि भारतीय छात्रों पर किसी नस्लभेदी हमले के खिलाफ कड़ाई से कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने संसद में बयान दिया है जिसमें उन्होंने इन हमलों की भर्त्सना और निंदा करते हुए उन्हें अस्वीकार्य बताया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आस्ट्रेलिया एक बहु सांस्कृतिक राष्ट्र है जिसमें विविधता को पूरा सम्मान प्राप्त है। उन्होंने कहा कि इनका मुकाबला कानून की पूरी ताकत के साथ किया जाएगा।

महोदया, मैं अपने छात्रों के अभिभावकों की चिंताओं को हल्का करके नहीं देखना चाहता परन्तु मैं मीडिया से निवेदन करना चाहता हूं कि उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भारतीय मूल के 2 लाख से अधिक लोग आस्ट्रेलियाई नागरिक हैं। हमें उनके हितों का ख्याल रखना चाहिए और उस स्थिति के निर्माण से बचना चाहिए कि भारतीय मूल के ये आस्ट्रेलियाई नागरिक भी जाने अनजाने कहीं नस्लभेदी असहिष्णुता के शिकार न बन जायें। भारत और आस्ट्रेलिया के बीच बहुत अच्छे सम्बंध हैं और पिछले पांच वर्षों में हमारी यह कोशिश रही है कि इन रिश्तों को और व्यापक बनाया जाए और उनमें गहराई लाई जाये।

महोदया, मैं चीन के साथ हमारे सम्बंधों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। माननीय सदस्यों ने चीन के साथ हमारे सम्बंधों का मुद्दा उठाया है। मैं यह बताना चाहूंगा कि चीन हमारा रणनीतिक सहयोगी है। चीन के साथ हमारे बहुमुखी सम्बंध है। फिर भी काफी गुंजाइश है। मैंने प्रायः कहा है कि चीन और भारत दोनों को मिलकर विश्व में शांति, स्थिरता और समृद्धि लाने के लिये काम करना चाहिए। मैं चीन के साथ हमारे सम्बंधों को शत्रुतापूर्ण नज़रिये से नहीं देखता। हमारा व्यापारिक सम्बंध काफी विस्तृत है, हम वैश्विक मुद्दों पर एक दूसरे के साथ राय मशविरा करते रहे हैं, चाहे वह जी-20 में जलवायु परिवर्तन का मुद्दा हो या आतंकवाद का। हम अपनी सीमा पर शांति बनाए रखने के लिये समान रूप से प्रतिबद्ध हैं।

निश्चय ही कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो जटिल और पेचीदा हैं, जैसे सीमा प्रश्न। परन्तु इस समस्या के समाधान के लिये हम एक व्यवस्था पर सहमत हुए हैं। हम चीन के साथ सुदृढ़ और स्थिर सम्बंध रखने के पक्षधर हैं। यही दोनों देशों के परस्पर हित में है। चीनी नेतृत्व ने मुझे आश्वस्त किया है। पिछले पांच वर्षों के दौरान मैंने उनसे विस्तार पूर्वक बातचीत की है। वे भी उन विचारों से सहमत है जो अभी मैंने व्यक्त किये हैं। परन्तु चाहे चीन हो या अन्य कोई देश, हम अपने देश की क्षेत्रीय अखंडता और देश की एकता सुनिश्चित करेंगे और जिस तरह भी आवश्यक होगा सुरक्षा बनाए रखेंगे। इस मामले में सदन को कोई शंका नहीं होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदया, राष्ट्रपति के अभिभाषण में बहुत सारे विषय समाहित हैं। मैं उन सब बिन्दुओं के प्रति न्याय नहीं कर सका हूं, जो सदन में उठाये गए। परन्तु जब मैं बहस सुन रहा था, मैं सभी पक्षों की ओर से व्यक्त विचारों में निहित इस भावना से अंचभित था कि विश्व के देशों में अपना इच्छित स्थान प्राप्त करने के लिये भारत को एक एकजुट राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ना चाहिए। यही जनादेश है, परिवर्तन के लिये जनादेश, सर्वनिहित विकास के लिए जनादेश, हमारे महान गणतंत्र की धर्मनिरपेक्ष बुनियादों को सुदृढ़ बनाने का जनादेश। यही वे कार्य हैं जिनके लिये मैं अपनी सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त करता हूं। मैं माननीय सदस्यों को आमंत्रित करता हूं कि धन्यवाद प्रस्ताव को निर्विरोध रूप से पारित करने के लिये मेरे साथ आयें।

धन्यवाद।

***